हिक्स के शब्दों में, ''उपयोगिता उस समय अधिकतम होगी जब एक व्यक्ति की सन्तुष्टि को दूसरे व्यक्ति की सन्तुष्टि से कम किये बिना ही बढ़ाना सम्भव हो।''

आलोचना—श्रीमती हिक्स के विचार सैद्धान्तिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, किन्तु व्यावहारिक रूप से कठिन हैं।

चूँकि **श्रीमती हिक्स** के विचार सैद्धान्तिक अधिक हैं और व्यावहारिक कम, अतः इन विचारों को अधिक मान्यता नहीं मिली।

महत्वपूर्ण प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. लोकवित्त के अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
2. ''लोकवित्त की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसके अन्तर्गत राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त कर सकता है।'' (डाल्टन) व्याख्या कीजिए।
3. अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त को समझाइए। इस सिद्धान्त को क्रियान्वित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं।
4. अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त के पालन में क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं। डाल्टन तथा श्रीमती हिक्स द्वारा बताई गई कसौटियों की जाँच कीजिए।
5. अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त को समझाइए। आप इसे व्यवहार में किस प्रकार प्रयोग करेंगे?
6. अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त क्या है?
2. ''अधिकतम सामाजिक लाभ उस साम्य पर मिलेगा जहाँ कर से उत्पन्न अनुपयोगिताएँ या सरकारी व्यय से प्राप्त उपयोगिताएँ बराबर होती हैं।'' समझाइए।
3. अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त में सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम की क्या भूमिका है?
4. सीमान्त सामाजिक त्याग और सीमान्त सामाजिक लाभ की धारणा को समझाइए।
5. अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त में आय और व्यय का विभाजन किस प्रकार होता है?
6. अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त की कठिनाइयों को समझाइए।
7. अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त की आर्थिक कसौटियों को समझाइए।
8. अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त में श्रीमती हिक्स की कसौटियाँ बताइए।

Scanned with CamScanner

4

आगम के स्त्रोत—कर आगम एवं गैर कर आगम
[SOURCES OF REVENUE—TAX REVENUE AND NON TAX REVENUE]

सार्वजनिक आय का अर्थ
(Meaning of Public Revenue)

जिस प्रकार व्यक्ति को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सरकार को भी अपने विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आय की आवश्यकता होती है। सरकार को प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। आर्थिक नियोजन, कल्याणकारी राज्य, रोजगार, सरकारी विनियोग के लिए सरकार की आय में व्यापक और गहन वृद्धि हुई है।

सार्वजनिक आय के लिए सरकार को जनता पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्तमान सरकारें आय का एकत्रीकरण केवल आय प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि धन के असमान वितरण को कम करने, पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने तथा आर्थिक तेजी-मन्दी में स्थिरता लाने के लिए भी करती है। यही कारण है कि सरकार के आय प्राप्त करने के स्रोतों का दिन-ब-दिन विस्तार होता जा रहा है। इतना ही नहीं सरकार अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने में भी लगी है।

सार्वजनिक आय शब्द का सूक्ष्म और व्यापक अर्थों में भी प्रयोग होता है। सूक्ष्म अर्थ में वही आय शामिल होती है जिसे सरकार को लौटाना न पड़े, जबकि व्यापक अर्थ में सरकार को सभी प्रकार की आयों को सम्मिलित कर सकते हैं।

प्रो. डाल्टन के अनुसार—***सार्वजनिक आय की परिभाषा व्यापक या संकुचित अर्थ में की जा सकती है। व्यापक अर्थ में इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की आय या प्राप्तियाँ सम्मिलित की जाती हैं और संकुचित अर्थ में इसमें केवल तीन प्राप्तियाँ ही सम्मिलित की जाती हैं जिसे सामान्यतः आय में शामिल किया जाता है।***[1]

संकुचित अर्थ में—कर, सरकारी सम्पत्ति के विक्रय एवं **सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय** इन तीनों को शामिल किया जाता है।

व्यापक अर्थ में—उक्त तीनों के अतिरिक्त, जनता एवं विदेशों से ऋण लेकर, नोट छापकर एवं अनुदान सहित सभी प्रकार की आय को सम्मिलित किया जाता है।

उक्त प्रथम तीन स्रोतों की आय को सार्वजनिक आय (Public receipts) में तो शामिल कर सकते हैं किन्तु 'सार्वजनिक राजस्व' (Public revenue) में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ऋण चाहे आन्तरिक हो या

1 "The income of a public authority may be defined either in broad narrow sense. In the broad sense it includes all 'incommings' or 'receipts', in the narrow sence only those receipts which are included in the ordinary conception of 'revenue'." —*Dr. Dalton.*

Scanned with CamScanner

बाह्य आय नहीं माना जा सकता क्योंकि सरकार को ये ऋण लौटाने पड़ते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक आय का सूक्ष्म अर्थों में ही अध्ययन करना चाहिए।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में सरकार के कार्यक्षेत्र में व्यापक वृद्धि हो गई है। इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सरकार को नए-नए आय स्रोत खोजने पड़ रहे हैं। आय के इन स्रोतों को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अनेक भागों में वर्गीकृत किया है जो अग्रलिखित हैं—

सार्वजनिक आय का वर्गीकरण
(Classification of Public Revenue)

सार्वजनिक आय का भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों ने निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया है। उनमें से महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों का वर्गीकरण निम्नलिखित है—

(1) एडम स्मिथ का वर्गीकरण (Adam Smith's classification)—**एडम स्मिथ** ने सार्वजनिक आय को दो भागों में विभाजित किया है—

(i) राजकीय सम्पत्ति से प्राप्त आय—इसमें वह समस्त आय शामिल है जो जंगल, भूमि आदि से प्राप्त होती है।

(ii) नागरिकों से प्राप्त आय—इसमें कर, फीस, जुर्माने, जप्तियों, उपहारों आदि से प्राप्त होने वाली आय शामिल है।

दोष—स्मिथ का उक्त वर्गीकरण वर्तमान राजस्व व्यवस्था के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि नागरिकों से कर के अतिरिक्त अन्य गैर कर आय भी राजस्व के लिए महत्वपूर्ण है।

(2) सैलिगमैन का वर्गीकरण—प्रो.सैलिगमैन ने सार्वजनिक आय का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है—

(i) अनिवार्य आय—इसमें राज्य को कर, दण्ड एवं अन्य लोक उद्योगों से प्राप्त आय शामिल की गई है। यह आय तीन प्रकार से प्राप्त होती है— (अ) भूमि, जंगल आदि से प्राप्त आय, (ब) कर अधिकार जैसे-कर, शुल्क आदि से प्राप्त आय, (स) अर्थदण्ड, जुर्माना आदि से प्राप्त आय।

(ii) नि:शुल्क आय—राज्य को उपहार में प्राप्त समस्त आय जिसको प्राप्त करने में विशेष प्रयास नहीं किये जाते इस मद में शामिल हैं।

(iii) अनुबन्धीय आय—इस मद में सरकारी उद्योगों, भूमि, खदानों की आय को शामिल करते हैं।

दोष—प्रो.सेलिगमैन का वर्गीकरण (i) अवैज्ञानिक और (ii) अस्पष्ट है।

(3) प्रो.डाल्टन का वर्गीकरण—यह निम्नलिखित है—(i) कर, (ii) ऋण, (iii) सार्वजनिक सम्पत्ति से प्राप्त आय, (iv) फीस एवं अन्य भुगतान, (v) सार्वजनिक उपक्रमों से आय, (vi) स्वेच्छा से दिये गये उपहार, (vii) विशेष-निर्धारण आय, (viii) स्वेच्छा से दिये गये सार्वजनिक ऋण, (ix) सार्वजनिक उद्योगों से आय, (x) न्यायालयीन दण्ड से प्राप्त आय, (xi) उपहार एवं क्षतिपूर्ति आय, (xii) प्रेस से प्राप्त आय।

दोष—(i) ऋण को आय मानना अनुचित है। (ii) **अस्पष्ट**—डाल्टन का वर्गीकरण अस्पष्ट है।

(4) लुट्ज का वर्गीकरण—लुट्ज ने सार्वजनिक आय का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया है—

(i) प्रशासनिक आय एवं अन्य आय, (ii) सार्वजनिक ऋण, (iii) बही-खाते का हस्तान्तरण, (iv) आर्थिक सहायता एवं अनुदान, (v) करारोपण, (vi)व्यापारिक संस्थानों से आय।

दोष—(i) सार्वजनिक ऋण को आय मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऋणों के भुगतान के साथ-साथ उन पर ब्याज भी देना पड़ता है।

(5) टेलर का वर्गीकरण— टेलर ने सार्वजनिक आय को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया है—

(i) कर—जनता पर लगाये गये करों से प्राप्त आय।

(ii) प्रशासनिक आय—इसमें जुर्माना, लायसेन्स एवं सम्पत्ति से प्राप्त आय को सम्मिलित किया गया है।

Scanned with CamScanner

(iii) **व्यापारिक आय**—सरकार के डाकतार, टोलटैक्स एवं सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय जिन्हें सरकार स्वयं चलाती है इसमें शामिल किया गया है।

(iv) **उपहार एवं अनुदान**—वह राशि जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उपहार के रूप में दी जाती है। इस मद में सम्मिलित की जाती है।

दोष—(i) **टेलर** ने सार्वजनिक आय को किसी **निश्चित आधार पर विभाजित** नहीं किया है।

(ii) वर्गीकरण में **कई मदें आपस में मिल गई हैं।**

(6) **रिजर्व बैंक का वर्गीकरण**—रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक आय का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है—

(अ) कर सम्बन्धी आय—इसमें (i) उपहार तथा क्षतिपूर्ण राशि, (ii) वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, (iii) प्रत्यक्ष कर से आय—जैसे आय कर, मूल्य कर एवं सम्पत्ति कर, (iv) अनुदान से प्राप्त राशि।

(ब) गैर-कर सम्बन्धी आय—इसमें सरकार द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों की आय शामिल रहती है।

(7) **सामान्य वर्गीकरण**—इस वर्गीकरण को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है—

सार्वजनिक आय के स्रोत

- करों से आय
  - प्रत्यक्ष आय जैसे- आय कर, निगम कर, सम्पत्ति कर
  - अप्रत्यक्ष आय जैसे— सीमा शुल्क, बिक्रीकर, भू-राजस्व कर आदि।
- गैर-कर आय
  - राजकीय सम्पत्ति से आय
  - विक्रय से आय
  - उपहार, अनुदान जुर्माने

सार्वजनिक आय के उपर्युक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि उनमें से कोई भी वर्गीकरण पूर्ण एवं वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि सभी मदें आपस में मिलती-जुलती हैं। इस सम्बन्ध में **प्रो.डाल्टन** का मत सच लगता है कि ***"सार्वजनिक आय के साधनों को वास्तव में वर्गीकृत किया जा सकता है, परन्तु इनमें से किये गये अनेक वर्गीकरण स्पष्ट नहीं हैं और अन्य स्थानों के वर्गीकरण की खोज स्वयं वर्गीकरण की प्राप्ति से अधिक ज्ञानवर्धक है।''***

सार्वजनिक आगम के स्रोत
(Sources of Public Revenue)

सामान्यतः किसी भी देश के सार्वजनिक आगम के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है—

(अ) कर आय (Tax Revenue),

(ब) गैर-कर आय (Non-Tax Revenue)।

(अ) कर आय (Tax Revenue)

अत्यधिक प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। यह उन सामान्य सार्वजनिक सेवाओं के बदले में जनता को अनिवार्य रूप से देना पड़ता है जिन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

कर का अर्थ—प्रो.फिण्डले शीराज—*''कर सार्वजनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान है जिन्हें सार्वजनिक लाभ के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले सामान्य व्यय को पूर्ण करने के लिए प्राप्त किया जाता है। इसका विशेष लाभ से कोई सम्बन्ध नहीं है।''*

करारोपण का उद्देश्य—(i) आय प्राप्त करना, (ii) आर्थिक स्थिरता लाना, (iii) धन के असमान वितरण की समस्या को दूर करना, (iv) सामाजिक बुराई जैसे—मद्यपान आदि रोकना भी है।

Scanned with CamScanner

करों का वर्गीकरण (Classification Tax)

सामान्यतः कर दो प्रकार के होते हैं—

(क) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax), (ख) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

(क) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

प्रत्यक्ष कर वे हैं जो लोगों की आय, सम्पत्ति आदि पर लगाये जाते हैं। इन करों का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर लगाये जाते हैं। इन करों को अन्यों पर टाला नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष कर के आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं—

प्रत्यक्ष कर आय के स्रोत—सरकार निम्नलिखित प्रत्यक्ष कर लगाकर आय प्राप्त करती है—

(1) व्यक्तिगत आय कर (Personal income tax)—व्यक्तिगत आयकर सरकारी कर्मचारियों, संयुक्त हिन्दू परिवारों, गैर पंजीकृत (Unregistered) फर्मों के व्यक्तियों एवं अन्य समुदायों की आय पर कर लगाया जाता है। कुल आय में सभी स्रोतों की आय का योग करके ऐसे व्ययों को घटा दिया जाता है जो आय कमाने के लिए जरूरी होते हैं। इसके अतिरिक्त बचत बढ़ाने वाली योजनाओं जैसे भविष्य निधि, जीवन बीमा आदि में भी कर राहत एक निश्चित प्रतिशत तक दी जाती है। भारत में प्रत्येक आयकर दाता की कुल आय पर 1 लाख रुपये तक कोई कर नहीं है। 1 लाख से 1.5 लाख तक 10%, 1.5 लाख से 2.5 लाख आय पर 20%, 2.5 लाख से अधिक आय पर 30% कर है। भारत में कुल जनसंख्या के 2% से भी कम लोग कर देते हैं।

(2) मृत्यु कर (Death tax)—किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति उत्तराधिकारियों को मिलने पर, लगाया जाता है। सरकार सभी प्रकार की सम्पत्तियों एवं जायदादों पर कर लगाती है। भारत में मृत्यु कर दो रूपों में लगाया जाता है।

(अ) सम्पत्ति कर, (ब) उत्तराधिकारी कर।

(अ) सम्पत्ति कर—यह कर मृतक की सम्पत्ति पर उसके वितरण के पूर्व लगाया जाता है। इस कर से प्राप्त राशि राज्यों में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वितरित की जाती है।

(ब) उत्तराधिकारी कर—यह कर सम्पत्ति के वितरण होने के पश्चात् उत्तराधिकारियों पर लगाया जाता है।

(3) उपहार कर (Gift Tax)—**प्रो.जे.के.मेहता**—***''उपहार कर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी व्यक्ति, हिन्दू-अविभाजित परिवार, कम्पनियों, फर्मों एवं व्यक्तियों के संगठन द्वारा दिये गये उपहारों पर लगाया जाता है।''*** यह कर व्यक्ति पर योग्यतानुसार, धन के पुनर्वितरण एवं व्यक्ति की सम्पत्ति में जन को साझेदार बनाने के उद्देश्य से लगाया जाता है।

(4) निगम कर (Corporation tax)—निगम कर उस कर को कहते हैं जो निगमों एवं व्यावसायिक कम्पनियों पर लगाये जाते हैं। यह कर कम्पनी को एक स्वतन्त्र इकाई मानकर उस पर व्यक्तिगत आय कर से अलग निगम लगाती है। चूँकि यह कर कम्पनी के अंशधारियों पर टाल दिया जाता है, किन्तु उन्हें कम्पनी से प्राप्त लाभांशों पर कोई बट्टा या रिबेट नहीं मिलता है। प्रत्येक कम्पनी को लाभांश के वितरण के पूर्व आय पर निगम काटना पड़ता है।

(5) धन कर (Wealth tax)—यह कर व्यक्तियों, भारत में संयुक्त हिन्दू परिवारों एवं कम्पनियों पर कर मुक्त सम्पत्ति घटाने के बाद शुद्ध सम्पत्ति पर लगाया जाता है। सम्पत्ति का मूल्य बाजार मूल्य पर आँक कर उसमें से दायित्वों को घटा देते हैं। इस कर में अनेक प्रकार की छूटें दी गई हैं।

(ख) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

अप्रत्यक्ष कर वे हैं जो वस्तुओं पर लगाये जाते हैं और इनका भार उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है। **बैस्टेबल** के अनुसार, अप्रत्यक्ष कर वे हैं जो कभी-कभी उत्पन्न होने वाले विशेष अवसरों पर लगाये जाते हैं।

प्रमुख अप्रत्यक्ष कर निम्नलिखित हैं—

(1) बिक्री कर (Sales tax)—भारत में बिक्री कर सामान्यतः राज्य सरकारों द्वारा व्यापारियों के सौदों पर लगाया जाता है। बिक्री कर सामान्य और चयनात्मक (General and selective) दोनों प्रकार के होते हैं। विक्री कर की मंशा तथा भार वहन के बारे में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं। कुछ विद्वान विक्रीकर 'एक बिन्दु' (Signle point) और कुछ बहु-विन्दुओं (Multipoints) पर लगाने के पक्षपाती हैं, किन्तु सरकार इसे उपभोक्ता पर टालने को उचित मानती है, लेकिन वह इस कर को पंजीकृत कम्पनियों को एकत्रित कर जमा कराने को कहती है। बिक्री कर सेवाओं और अचल सम्पत्तियों को छोड़कर सभी पर लगाया जाता है। कुछ अति आवश्यक एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं पर छूट भी दी जाती है। छत्तीसगढ़ में इसे वाणिज्यिक कर कहा जाता है। अधिकांश राज्यों में इसे 'वैट' नाम दिया गया है।

(2) मनोरंजन कर (Entertainment tax)—मनोरंजन कर राज्य सरकारें लगाती हैं। यह सिनेमा, नाटक, कुश्ती, सरकस, खेल आदि पर लगाया जाता है। यह कर चुकाने का दायित्व प्रबन्धकों पर होता है, किन्तु प्रबन्धक यह कर उपभोक्ता से वसूलते हैं। कुछ लोक हितकारी मनोरंजनों पर यह कर माफ भी कर दिया जाता है।

(3) राज्य उत्पादन कर (State excise duty)—भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें उत्पादन कर लगाती हैं। केन्द्र द्वारा उत्पादन कर लगाने पर उससे प्राप्त आय राज्यों में बाँट दी जाती है, किन्तु राज्य सरकारें जो उत्पादन कर लगाती हैं उसकी आय का उपयोग वे स्वयं ही करती हैं। यह कर भांग, गाँजा, शराब, हशिश सहित अनेक नशीली वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस कर का मुख्य लक्ष्य आय प्राप्ति के साथ-साथ नशीली वस्तुओं के उपभोग को रोकना होता है।

(4) भू-राजस्व (Land revenue)—भू-राजस्व कर विश्व का बहुत पुराना कर है। भारत में सामन्तवादी युग में इसे मालगुजारी एवं अंग्रेजी शासन काल में भू-राजस्व कहते थे। भू-राजस्व भूमि स्वामी सीधे सरकार को चुकाता है। यह राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत है।

(5) सीमा शुल्क (Customs duties)—यह कर केन्द्र सरकार लगाती है। इसे निर्यात-आयात कर के रूप में भी जाना जाता है। दोनों में से निर्यात शुल्क अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों शुल्क आय तो देते ही है, किन्तु इनका उपयोग सरकार विदेशी व्यापार को नियमित एवं नियन्त्रित करने के लिए भी करती है।

आयात कर वस्तु के मूल्य पर प्रतिशत में लगाते हैं। कुछ वस्तुओं पर विशिष्ट आयात कर भी लगाया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं पर ऊँचा आयात कर लगाकर सरकार देश के उद्योगों को सुरक्षा देती है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) सदस्य देशों को सीमा शुल्क कम से कम रखने का दबाव बनाने में सफल हो रहा है।

(6) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (Union excise duties)— भारत सरकार शराब एवं अन्य नशीली चीजों जैसे— अफीम, भाँग, गाँजा आदि को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाती है। इस शुल्क से प्राप्त आय का विभाजन वित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्र एवं राज्यों के बीच होता है। यह कर मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। इस कर की दरें विलासिता की वस्तओं पर अधिक और अनिवार्य (गरीबों के उपभोग की) वस्तुओं पर न्यूनतम होती है। पिछले वर्षों में अनेक वस्तुओं पर मूल्य-वर्धित कर इस मद की अनेक वस्तुओं पर लगाया गया है।

(ब) गैर-कर आय (Non-Tax Revenue)

अर्थशास्त्रियों ने गैर-कर आय को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया है—

(1) व्यावसायिक आय (Commercial Revenue), (2) प्रशासनिक आय (Administrative Revenue), (3) ऋण (Loans), (4) उपहार एवं अनुदान (Gifts and Grants), (5) अन्य साधन (Other Sources)। इनका विस्तृत विवेचन निम्नलिखित है—

(1) व्यावसायिक आय (Commercial revenue)—आधुनिक युग में व्यावसायिक आय सरकार की अत्यधिक महत्वपूर्ण आय-मद है। अब केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य और स्थानीय सरकारें भी इस

Scanned with CamScanner

मद से अधिकतम आय प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। केन्द्रीय स्तर पर डाक तार, टेलीफोन, राज्य स्तर पर वन, खनिज एवं स्थानीय स्तर पर मिट्टी की खदानों से उत्पन्न सेवाओं और वस्तुओं को उत्पन्न कर तथा उन्हें बाजार में लाभप्रद मूल्यों पर बेचकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त कर रही हैं। कई बार सरकार सेवाओं को ठेके पर देकर भी आय प्राप्त करती है। यह आय समाजवादी देशों की आर्थिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण अंग है।

वर्तमान में मिश्रित और समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले अनेक देश आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास के लिए अनेक लाभप्रद सार्वजनिक उद्योगों का संचालन कर रहे हैं। इन उपक्रमों को लाभ प्राप्त कर आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी उद्योग सरकार चलाती है। संक्षेप में, राष्ट्रीय सुरक्षा, सस्ती सेवा और तीव्र आर्थिक विकास में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है।

(2) प्रशासनिक आय (Administrative revenue)—सरकार देश में शान्ति, सुरक्षा एवं प्रभावी प्रशासन चलाने के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाती है, जो लोग इन कानूनों को तोड़ते हैं, सरकार उन्हें दण्डित करती है। इससे सरकार को आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार सरकार नागरिकों को विशेष सुविधाएँ भी देती है। इन सुविधाओं का लाभ लेने वाले लोगों से शुल्क लेती है। इस प्रकार सरकार की प्रशासनिक आय में निम्न मदों की आय अत्यधिक महत्वपूर्ण है—

(i) फीस अथवा शुल्क (Fees)—सरकार कुछ सेवाओं के बदले उनकी पूर्ण या आंशिक लागत लेती है जिसे फीस या शुल्क कहते हैं। जैसे कॉलेज में पढ़ाने के बदले सरकार फीस लेती है। फीस या शुल्क का भुगतान अनिवार्य है। सेवा का उपयोग न करने पर शुल्क का भुगतान करना जरूरी नहीं होता है। **प्रो.सेलिगमेन** के अनुसार—***''शुल्क राज्य द्वारा बार-बार प्रदान की जाने वाली सेवा की लागत को पूरा करने के लिए विशेषकर सार्वजनिक हित में एक भुगतान है, परन्तु इससे शुल्क दाता को दी जाने योग्य एक विशेष लाभ भी प्राप्त होता है।''*** शुल्क की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है –

(a) सेवा का भुगतान—शुल्क राज्य द्वारा की जाने वाली प्रशासन या न्याय सम्बन्धी सेवा का भुगतान है।

(b) लागत का आधार—शुल्क की राशि प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आंशिक या पूर्ण लागत के आधार पर वसूली जाती है।

(c) जैसा का तैसा सिद्धान्त—फीस का भुगतान वे ही लोग करते हैं जो राज्य द्वारा प्रदत्त विशेष सेवाओं का उपभोग करते हैं। यह जैसा का तैसा सिद्धान्त पर आधारित होने से इसका भुगतान उपभोक्ता को करना ही पड़ता है।

(d) प्रशासनिक नियन्त्रण—शुल्क के बदले दी जाने वाली सेवा प्रशासनिक नियन्त्रण में दी जाती है।

(e) विशेष लाभ—शुल्क के बदले दी जाने वाली सेवा का लाभ सामान्य लोगों को भी मिलता है किन्तु फीस देने वाले व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है।

(f) स्वेच्छा से भुगतान—चूँकि शुल्क के बदले लोगों को विशेष लाभ मिलता है अतः लोग स्वेच्छा से शुल्क का भुगतान करते हैं।

शुल्क और कर में अन्तर
(Difference Between Fees and Tax)

शुल्क	कर
1. शुल्क विशेष लाभ के लिए वसूला जाता है।	1. इसका लाभ से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।
2. शुल्क का उद्देश्य सेवा की पूर्ण या आंशिक लागत निकालना होता है।	2. कर का उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है।
3. शुल्क का लाभ प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित व्यक्ति को जरूर मिलता है।	3. कर का लाभ प्रत्यक्ष रूप से कर चुकाने वाले को मिलना जरूरी नहीं है।

Scanned with CamScanner

(ii) **लायसेन्स शुल्क** (Licence fees)—सरकार व्यक्ति को निश्चित कार्य करने के अधिकार देने के बदले में जो राशि वसूल करती है उसे लायसेन्स शुल्क कहते हैं। इस प्रकार जब सरकार स्वयं किसी कार्य को न करके अपने कार्य का सम्पादन किसी संस्था या व्यक्ति को देकर जो धन लेती है वह लायसेन्स शुल्क है। सरकार लायसेन्स देने वाले पर नियन्त्रण एवं नियमन का अधिकार रखती है। सरकार अक्सर सामाजिक हित को ध्यान में रखकर कुछ कार्य लोगों से करवाती है इसके बदले में वह उसे लायसेन्स देती है जिसके लिए शुल्क लेती है। जैसे—कण्ट्रोल दुकान का लायसेन्स, दवाई की दुकान, बन्दूक रखने आदि के लिए लाइसेन्स शुल्क लिया जाता है।

(iii) **जुर्माना एवं सम्पत्ति जप्ति**—सरकार द्वारा बनाये नियमों का उल्लंघन करने वालों पर **जुर्माना वसूला** जाता है। जुर्माने का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर नागरिकों को कानून पालन के लिए प्रेरित करना होता है। कई बार सरकार गम्भीर अपराध करने पर अपराधी की सम्पत्ति जब्त कर लेती है। इसी प्रकार जिस मृतक का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है सरकार उसकी भी सम्पत्ति जब्त कर लेती है। सरकार का उद्देश्य इस मद से भारी मात्रा में आय प्राप्त करना नहीं होता है। फिर भी यदि इस स्रोत से आय बढ़ती है तो समझना चाहिए कि देश में अपराध बढ़ रहे हैं जो उचित नहीं है।

(3) **ऋण** (Loans)—जब सरकार अपने व्ययों को पूरा करने के लिए देशवासियों से या विदेशियों से उधार लेती है तब उसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। आजकल सरकार को अनेक कार्य अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं। इन कार्यों के व्ययों को कर-आय या अन्य स्रोतों से पूरा करना सम्भव नहीं होता है। अतः सरकार के लिए ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। **डाल्टन** सहित अनेक अर्थशास्त्री इस प्रकार के ऋणों को आय मानते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री ऋण से आर्थिक विकास, प्राकृतिक संकट और युद्ध लड़ने तक को अच्छा मानते हैं।

किन्तु यह भी सच है कि ऋण को आय मानना राजस्व क्रियाओं की गम्भीर भूल है, क्योंकि ऋण का ब्याज सहित भुगतान करना अनिवार्य होता है।

(4) **उपहार एवं अनुदान** (Gifts and grants)—जब देशवासी या विदेशी लोग सरकार को स्वेच्छा से विभिन्न कार्य करने के लिए वित्तीय सहयोग बिना किसी लाभ के उद्देश्य से करते हैं तब उनकी यह क्रिया उपहार या अनुदान कहलाती है। इन उपहारों या अनुदानों को प्राप्त करने के लिए सरकार कोई विशेष प्रयास नहीं करती है। उपहार और अनुदान की राशि सरकार को वापस नहीं करनी पड़ती है। उपहार एवं अनुदान दोनों की प्रकृति अलग-अलग होती है जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है—

(i) **उपहार**—सरकार को देश या विदेशियों द्वारा उपहार देने की प्रथा प्राचीन काल से है। दानवीर लोग अकाल, बाढ़, भूकम्प, युद्ध, महामारी के समय राजाओं को प्राचीन काल में उपहार देते थे। सरकार को वर्तमान में भी उपहार में धन के साथ-साथ वस्तुएँ प्राप्त होती रहती हैं। जैसे भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय लोगों ने रुपये, सोने-चाँदी के जेवर आदि उपहार में दिये थे। यद्यपि इससे बहुत कम आय प्राप्त होती है फिर भी देशभक्ति और लोगों तथा सरकार का उत्साह बढ़ाने में ये उपहार सहायक होते हैं।

(ii) **अनुदान**—जब एक सरकार दूसरी सरकार को भेंट देती है तो उसे अनुदान कहते हैं। जैसे पिछले वर्षों में देश की केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर, आंध्रप्रदेश आदि की सरकारों को अनुदान दिये हैं। इसी प्रकार विकसित देश भी अल्प-विकसित या विकासशील देशों को अनुदान देते हैं। ये अनुदान धन, वस्तु एवं सेवाओं के रूप में दिये जाते हैं।

(5) **अन्य साधन** (Other resources)—सरकार की आय के गैर-कर आय के उक्त साधनों के साथ-साथ निम्नलिखित अन्य साधन भी हैं जिनसे उसे आय प्राप्त होती है—

(i) **महसूल** (Duties)— वे मादक पदार्थ जो शरीर एवं मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन कुशलता की हानि होती है। समाज के लिये बुरे होते हैं। इनका उत्पादन एवं उपभोग कम करने के लिए सरकार इन पर महसूल (Duties) लगा देती है। सरकार को महसूल मद से बहुत कम आय मिलती है।

(ii) **हीनार्थ प्रबन्धन** (Deficit financing)—सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए घाटे का बजट बनाकर नये नोटों का निर्गमन भी कर सकती है। इससे सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है तथा विकास

Scanned with CamScanner